

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/10

1. चौथमल आत्मज मोती लाल जाति खाती निवासी ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. रामलक्ष्मण आत्मज मोतीलाल जाति खाती निवासी ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. रामचरण आत्मज मोतीलाल जाति खाती निवासी ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. रामस्वरूप आत्मज मोतीलाल जाति खाती निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. लाडकंवर पुत्री मोतीलाल पत्नी लटूर जी जाति खाती निवासी चरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
2. आवंटन प्राधिकारी महोदय आवंटन समिति जरिये तहसीलदार साहब बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 26.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी की आराजी कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्ति निर्णय दिनांक 06.06.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ति ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ति स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ति अपीलान्ति दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं ओन से अपीलान्ति के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ति के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णित करवाना चाहते हों । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ति स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।
7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ति के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ति ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि रकाजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।
8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
9. निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा